जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना''

कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे भार की घोषणा कर नियमित कराएं

योजना एक अगस्त से 30 नवम्बर तक

जयपुर, 01 अगस्त। प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढे भार को बिना पेनल्टी नियमित कराने के लिए ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' एक अगस्त से 30 नवम्बर, 2012 तक लागू की गई है।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री कुंजीलाल मीणा ने बताया कि कृषि क्षेत्र में विद्युत कोटे का आंवटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है, इसमें कृषि उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार बढाने से बिजली की खपत स्वीकृत भार से अधिक हो जाती है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर जलने जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है एवं निगम को राजस्व की हानि भी होती है। किसानों को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए यह योजना लागू की गई है, जिसमें ऐसे उपभोक्ता अपने बढे भार की घोषणा कर बिना पेनल्टी के उसे नियमित करा सकते है।

श्री मीणा ने बताया कि योजना अवधि में अनाधिकृत बढे भार को नियमित कराने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि व नई 11 केवी. लाईन एवं सब–स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे किसानों को निर्धारित समय में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सम्भव होगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे किसानो को नही दिया जाएगा जो उसी कुए पर दूसरी मोटर लगाकर भार बढाते है अथवा दूसरे कुए पर जो उसी खसरा, खेत, परिसर, मुरब्बा में स्थित है उस पर दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढाते है।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत ऐसे कृषि उपभोक्ता, जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है तथा उनका विद्युत भार बढा हुआ पाया जाता है तो उनसे मात्र धरोहर राशि लेकर बिना पेनल्टी के बढे भार को नियमित कर दिया जाएगा। इसी तरह जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की अवधि एक वर्ष नही हुई है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते है, इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त 2500/– प्रति हार्स पावर बढे भार पर देने होंगे।

उन्होंने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को यह सुविधा अगस्त से नवम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए ही दी गई है। प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं से अपील है कि वे इस अवधि में अपने अनाधिकृत बढे भार की घोषणा के साथ ही निर्धारित धरोहर राशि जमा करवाकर बढे भार को नियमित करवाएं एवं पेनल्टी लगने से होने वाली परेशानी से बचें।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 332/2012